संदर्भः आईआरडीएआई/एफएण्डए/सीआईआर/विविध/256/09/2021 30 सितंबर 2021
Ref:IRDAI/F&A/CIR/MISC/256/09/2021 30th September, 2021

प्रति / To,
सभी बीमाकर्ताओं के सीएमडी/सीईओ
CMDs/CEOs of All Insurers

बीमाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण
Public Disclosures by Insurers

प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने "बीमाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण" पर परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/एफएण्डए/ 012/01/2020 दिनांक 28.01.2010 और आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/ पीबीडीआईएस/ 105/05/2011 जारी किये थे। आवधिक प्रकटीकरणों के संबंध में दिशानिर्देश भी प्राधिकरण द्वारा 9.4.2010 को और परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/सीएडी/सीआईआर/245/11/2012 दिनांक 20.11.2012 के जरिये जारी किये गये थे।
The Authority (IRDAI) had issued circulars ref: IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dt. 28.01.2010 and IRDA/F&I/CIR/PBDIS/105/05/2011 dt. 27.5.2011 on "Public Disclosures by Insurers". Guidelines on Periodic Disclosures were also issued by the Authority on 9.4.2010 and vide circular ref: IRDA/CAD/CIR/245/11/2012 dt. 20.11.2012.

2. अनुबंध क पर रखे गये बीमाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरणों संबंधी संशोधित अनुदेश बीमाकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक/आवधिक प्रकटीकरणों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/एफएण्डए/012/01/2010 दिनांक 28.01.2010, आवधिक प्रकटीकरणों संबंधी दिशानिर्देश दिनांक 9.4.2010, परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/एफएण्डआई/सीआईआर/पीबीडीआईएस/105/05/2011 दिनांक 27.05.2011 और परिपत्र संदर्भः आईआरडीए/सीएडी/सीपीआर/245/11/2012 दिनांक 20.11.2012 के उपबंधों का अधिक्रमण करते हैं।
The revised instructions on Public Disclosures by Insurers placed at Annexure A will supersede the provisions of circular ref. IRDA/F&I/CIR/F&A/012/01/2010 dt. 28.01.2010, Guidelines on Periodic Disclosures dt. 9.4.2010, circular ref: IRDA/F&I/CIR/PBDIS/105/05/2011 dt. 27.05.2011 and circular ref: IRDA/CAD/CPR/245/11/2012 dt. 20.11.2012 issued by the Authority on Public/Periodic Disclosures by Insurers.

3. बीमाकर्ता ध्यान रखें कि उक्त संशोधित अनुदेश वित्तीय वर्ष 2021-22 से प्रभावी होंगे तथा वेबसाइट पर प्रकटीकरणों का अपलोडिंग 30 सितंबर 2021 को समाप्त अवधि से तिमाही आधार पर होगा, जबकि समाचारपत्रों में प्रकाशन 30 सितंबर 2021 को समाप्त अवधि से छमाही आधार पर होगा। बीमाकर्ता

अपनी वेबसाइटों पर स्वैच्छिक आधार पर 30 जून 2021 को समाप्त अवधि के लिए संशोधित फार्मेटों में तिमाही प्रकटीकरण कर सकते हैं।

Insurers may note that the revised instructions shall come into effect from the financial year 2021-22 and the uploading of disclosures on website shall be on quarterly basis from the period ending 30th September, 2021 whereas publishing in Newspapers will be on half yearly basis from the period ending 30th September, 2021. The insurers may also make the quarterly disclosures in the revised formats for the period ending 30th June, 2021 on voluntary basis on their websites.

4. आईआरडीए अधिनियम,1999 की धारा 14(2)(ङ) के अधीन बीमाकर्ताओं को इसके द्वारा निदेश दिया जाता है कि वे अनुबंध क में निर्दिष्ट रूप में सार्वजनिक प्रकटीकरणों की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 से आवश्यक कार्रवाई करें।

The insurers are hereby, directed under Section 14 (2) (e) of the IRDA Act, 1999 to take necessary action to ensure compliance with the public disclosures requirements as indicated in Annexure A, from the FY 2021-22.

हस्ता./- Sd/-

(एस एन राजेश्वरी / S N Rajeswari)

सदस्य- एफएण्डए (प्रभारी) / Member- F&A (In-charge)

अनुलग्नक / Encl : यथोपरि / as above